राजस्थान सरकार

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

वार्षिक प्रगति / प्रशासनिक प्रतिवेदन

वर्ष 2025

Organisational Structure

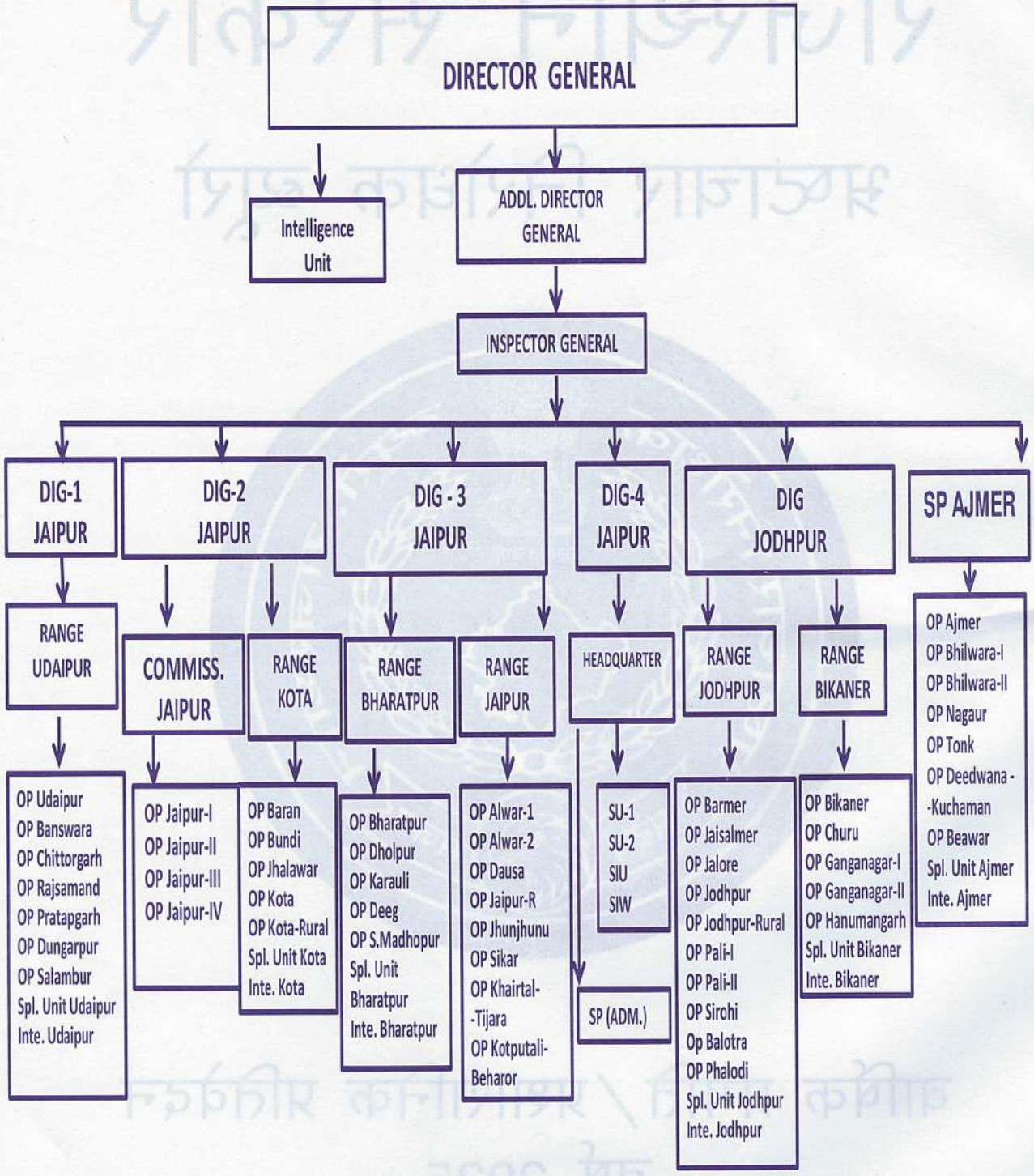

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण

क्र.सं.	पद का नाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1.	महानिदेशक	01	01	00
2.	अतिरिक्त महानिदेशक	01	01	00
3.	महानिरीक्षक पुलिस	03	01	02
4.	उप महानिरीक्षक पुलिस	04	05	+01
5.	पुलिस अधीक्षक	06	02	04
6.	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक	68	40	28
7.	उप अधीक्षक पुलिस	31	20	11
8.	पुलिस निरीक्षक	106	40	66
9.	उप निरीक्षक पुलिस	35	27	08
10.	सहायक उप निरीक्षक पुलिस	106	95	11
11.	मुख्य आरक्षक(सीपी)	171	139	32
12.	मुख्य आरक्षक(एमटी)	11	04	07
13.	आरक्षक	464	386	78
14.	आरक्षक ड्राईवर	103	98	05
15.	वित्तीय सलाहकार	01	01	00
16.	वरिष्ठ लेखाधिकारी	01	01	00
17.	आर.ए.एस.(उप निदेशक राजस्व)	02	00	02
18.	अधिशाषी अभियंता (उप निदेशक तकनीकी)	01	01	00
19.	अति. निदेशक अभियोजन	01	01	00
20.	संयुक्त निदेशक अभियोजन	02	02	00
21.	संयुक्त निदेशक कम्प्यूटर	01	01	00
22.	एनालिस्ट कम प्रोग्रामर	02	02	00
23.	वरिष्ठ निजी सचिव	01	01	00
24.	सहायक परीक्षण अधिकारी	01	00	01
25.	लेखाधिकारी	01	00	01
26.	अतिरिक्त निजी सचिव	01	00	01
27.	जन सम्पक्र अधिकारी	01	01	00
28.	प्रोग्रामर	02	02	00
29.	सहायक प्रोग्रामर	03	03	00
30.	उप विधि परामर्शी	01	00	01
31.	सहायक विधि परामर्शी	01	00	01
32.	संस्थापन अधिकारी	01	01	00
33.	प्रशासनिक अधिकारी	05	06	+01
34.	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	11	10	01
35.	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I/II	03	03	00
36.	निजी सहायक	08	00	08
37.	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	22	19	03
38.	कनिष्ठ लेखाकार	01	01	00
39.	शीघ्र लिपिक	09	10	+01
40.	वरिष्ठ सहायक	32	30	02
41.	सूचना सहायक	10	10	00
42.	कनिष्ठ सहायक	67	53	14
43.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	17	10	07
कुल योग		1319	1028	294–3= 291(+3)

प्रमुख कार्य

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का मुख्य उद्देश्य लोक सेवकों एवं राजकीय प्रतिष्ठानों के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध भ्रष्टाचार से सम्बन्धित शिकायतों पर त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही करना है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में भ्रष्टाचार उन्मूलन हेतु किये जा रहे कार्यों के अन्तर्गत भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों की जांच करना, सूत्र सूचनायें एकत्रित कर उनको विकसित एवं सत्यापित करना, अपराधों का अन्वेषण करना, रिश्वत प्राप्त करने वाले लोक सेवकों को रंगे हाथों पकड़ना, राजकीय पद का दुरूपयोग करने वाले तथा आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने वाले भ्रष्ट तत्वों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध कानूनी कार्रवाई करना है।

प्रशासन

राज्य में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने हेतु प्रदेश में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की 41 जिलों में 51 चौकियां स्थापित हैं, (जिनमें 08 नवीन चौकियां नवगठित जिले कोटपूतली–बहरोड़, खैरथल–तिजारा, डीग, ब्यावर, बालोतरा, डीडवाना–कुचामन, फलोदी एवं सलम्बूर में वित्तीय वर्ष 2025–26 की बजट घोषणा में स्वीकृत हुई है), इनमें से 05 जयपुर में स्थापित हैं। सभी जिलों पर स्थापित चौकियों में प्रभारी अधिकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक/उप अधीक्षक पुलिस हैं। विशेष अभियोगों का अनुसंधान करने के लिए पृथक से एक स्पेशल इन्वेस्टीगेशन विंग एवं एक स्पेशल इन्वेस्टीगेशन यूनिट ब्यूरो के मुख्यालय पर कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त ब्यूरो मुख्यालय जयपुर में 2 स्पेशल यूनिट व 1 इन्टेलीजेंस यूनिट, रेंज स्तर पर 6 स्पेशल यूनिट एवं 6 इन्टेलीजेंस यूनिट कार्यरत हैं।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की कार्य प्रणाली को सुदृढ़ एवं सशक्त बनाने के लिए रेन्ज स्तर पर 6 कार्यालय कार्यरत है, जिनके प्रभारी भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं।

वर्ष में किये गये महत्वपूर्ण कार्य/उपलब्धियाँ

वर्ष 2025 में कुल 343 अभियोग एवं 93 प्राथमिक जाँच पंजीबद्ध की गई। इन 343 अभियोगों में से ट्रेप के 281 अभियोग, पद के दुरूपयोग के 37 अभियोग एवं आय से अधिक परिसम्पतियाँ अर्जित करने के 25 अभियोग हैं। माननीय न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों में से वर्ष 2025 के अन्त तक 114 प्रकरणों में आरोपियों को सजा सुनाई गई है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा वर्ष के दौरान राज्य सरकार की "भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान" की संकल्पता को साकार करने के लिए राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही की गई जिसमें प्रमुख विभाग एवं उनके कार्मिकों के विरूद्ध की गई कार्यवाहियों का विवरण निम्न प्रकार है:–

- ट्रेप के कुल 281 प्रकरण पंजीबद्ध किये गए, इन प्रकरणों में 53 प्रकरण राजपत्रित अधिकारीगण, 222 प्रकरण अराजपत्रित कर्मचारीगण एवं 6 प्रकरण प्राईवेट व्यक्तियों के विरूद्ध पंजीबद्ध किये गये।
- पद के दुरूपयोग के कुल 37 प्रकरण पंजीबद्ध किये गए। इन प्रकरणों में 18 प्रकरण राजपत्रित अधिकारीगण एवं 19 प्रकरण अराजपत्रित कर्मचारीगणों के विरूद्ध पंजीबद्ध किये गये।
- आय से अधिक सम्पत्ति के कुल 25 प्रकरण पंजीबद्ध किये गए, इन प्रकरणों में 14 प्रकरण राजपत्रित अधिकारियों एवं 11 प्रकरण अराजपत्रित कर्मचारियों के विरूद्ध पंजीबद्ध किये गए।

(अ) ट्रेप के महत्वपूर्ण प्रकरण

नगरीय विकास विभाग :–

1. प्रकरण संख्या 04/2025 दिनांक 09.01.2025 को आरोपी श्री युवराज युधिष्ठर मीणा हाल कर निर्धारक अतिरिक्त कार्यभार राजस्व अधिकारी नगर निगम अलवर व अन्य द्वारा परिवादी की फर्म के किये गये कार्यो के डाटा वेरिफिकेशन (टेक्स वसूली) बाबत 03 लाख रूपये रिश्वत राशि प्राईवेट व्यक्ति के मार्फत मांग कर रिश्वत राशि प्राप्त करने पर गिरफ्तार कर प्रकरण दर्ज किया गया।

2. प्रकरण संख्या 41/2025 दिनांक 23.02.2025 को आरोपी श्री रामनिवास मीणा, कनिष्ठ अभियंता, नगर पालिका/परिषद, पुष्कर एवं अन्य द्वारा आपस में मिलिभगत कर परिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये निर्माण कार्यो के बिलो को पास करने की एवज में 02 लाख रूपये की रिश्वत मांग करने पर दिनांक 21.02.2025 को कुल राशि 02 लाख (60000/– भारतीय मुद्रा व 140000 डमी करेंसी) प्राप्त करने पर रंगे हाथ गिरफ्तार कर प्रकरण दर्ज किया गया।

स्वायत्त शासन विभाग :–

3. प्रकरण संख्या 172/2025 दिनांक 04.07.2025 को आरोपी श्री कौशल कुमावत, सहायक नगर नियोजक, नगर परिषद् नागौर द्वारा परिवादी के भतीजे द्वारा कॉल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउस के लिए आवेदन किए जाने पर तकनीकी रिपोर्ट देने हेतु राशि 5.00 लाख रिश्वत की मांग करने पर दिनांक 02.07.2025 को 04 लाख रूपये की रिश्वत प्राप्त करने पररंगे हाथ गिरफ्तार कर प्रकरण दर्ज गया।

4. प्रकरण संख्या 246/2025 दिनांक 19.09.2025 को आरोपी श्री रमेश कुमार, वरिष्ठ सहायक, प्रभारी भूमि शाखा, नगर पालिका, राजगढ़ द्वारा परिवादी के व्यवसायिक भूमि के कन्वर्जन करने हेतु रिश्वत की मांग किए जाने पर दिनांक 18.09.2025 को 1.90 लाख की रिश्वत प्राप्त करने पररंगे हाथ गिरफ्तार कर प्रकरण दर्ज किया गया।

पुलिस विभाग :–

5. प्रकरण संख्या 103/2025 दिनांक 27.04.2025 आरोपी श्री दिलीप सिंह, पुलिस निरीक्षक, पुलिस थाना राजतालाब जिला बांसवाड़ा एवं अन्य द्वारा परिवादिया के व उसके परिवारजन की गाड़ियां व प्रोपर्टी छोड़ने तथा बाकी बचे परिवार के लोगो को गिरफ्तार नहीं करने की एवज में 03 लाख 50 हजार रूपये की रिश्वत राशि मांग करना एवं वक्त मांग सत्यापन अपने दलाल के मार्फत एक लाख रूपये परिवादिया से प्राप्त करने एवं दौराने ट्रेप कार्यवाही शेष रिश्वत राशि 2,50,000/– प्राप्त करने पर गिरफ्तार कर प्रकरण दर्ज किया गया।

6. प्रकरण संख्या 261/2025 दिनांक 04.10.2025 आरोपी श्री चन्द्रप्रकाश, पुलिस निरीक्षक, पुलिस थाना फुलेरा, जिला जयपुर ग्रामीण द्वारा प्राईवेट व्यक्ति श्री हैप्पी माथुर के माध्यम से परिवादी के भाई को साईबर ठगी के प्रकरण में गिरफ्तार नहीं करने हेतु रिश्वत राशि 1.00 लाख की मांग करना एवं वक्त मांग सत्यापन अपने दलाल के मार्फत 20,000 परिवादी से प्राप्त करना तथा दिनांक 02.10.2025दौराने ट्रेप कार्यवाही शेष रिश्वत राशि 50,000/– प्राप्त करने पर गिरफ्तार कर प्रकरण दर्ज किया गया।

7. प्रकरण संख्या 311/2025 दिनांक 21.11.2025 आरोपिया श्रीमती राजकुमारी, उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना गांधीनगर, आयुक्तालय जयपुर द्वारा परिवादी द्वारा क्रय/विक्रय किये गये प्लॉट से संबंधित दर्ज मुकदमें में गिरफ्तार नहीं करने हेतु रिश्वत राशि 1.25 लाख रूपये ट्रेप कार्यवाही के दौरान प्राप्त किए जाने पर गिरफ्तार कर प्रकरण दर्ज किया गया।

राजस्व विभाग :–

8. प्रकरण संख्या 07/2025 दिनांक 11.01.2025 आरोपी श्री जितेन्द्र मीणा वरिष्ठ सहायक कार्यालय राजस्व अधिकारी, अलवर द्वारा परिवादी की क्रय की गई भूमि से स्टे हटवाने की एवज में 01 लाख 50 हजार रूपये की रिश्वत राशि प्राप्त करने पर रंगे हाथ गिरफ्तार कर प्रकरण दर्ज किया गया।

9. प्रकरण संख्या 36/2025 दिनांक 19.02.2025 आरोपिया श्रीमति सुमित्रा चौधरी तहसीलदार व श्री शिवप्रकाश तहसीलदार जिला जैसलमेर व अन्य द्वारा परिवादी की क्रय की गई भूमि का नामान्तरण, पैमाईश, रजिस्ट्री आदि करवाने की एवज में 60 लाख रूपये की रिश्वत मांग करने पर मांग स्वरूप प्रथम किस्त के 15.00 लाख रूपये नकद प्राप्त करने पर रंगे हाथ गिरफ्तार कर प्रकरण दर्ज किया गया।

10. प्रकरण संख्या 249/2025 दिनांक 24.09.2025 आरोपी श्री नरेन्द्र मीणा,पटवारी, हल्का हाथौज, तहसील कालवाड़, जिला जयपुर द्वारा परिवादी कीक्रय की गई भूमि का नामान्तरण खोले जाने की एवज में रिश्वत मांग करने पर पटवारी के सहयोगी दलाल को रिश्वत राशि 30.00 लाख रूपये प्राप्त करने पर रंगे हाथ गिरफ्तार कर प्रकरण दर्ज किया गया।

11. प्रकरण संख्या 303/2025 दिनांक 18.11.2025 आरोपी श्री कमलेश चन्द्र खटीक, भू–अभिलेख निरीक्षक, वृत्त भाणा, तहसील कुंवारिया, जिला राजसमन्द द्वारा परिवादी के ऑनलाईन राजस्व नक्शे में मौके के हिसाब से दुरूस्तीकरण किए जाने की एवज में 10 लाख रूपये की रिश्वत मांग करने पर दिनांक 14.11.2025 को रिश्वत राशि 7.00 लाख रूपये प्राप्त किए जाने पर रंगे हाथ गिरफ्तार कर प्रकरण दर्ज किया गया।

12. प्रकरण संख्या 170/2025 दिनांक 03.07.2025 आरोपी श्रीमती अदित्या, उप पंजीयक, परिवादी के क्रंय किये गये भूखण्ड की रजिस्ट्री करने की एवज में राशि 1,25,000 रूपये की मांग किये जाने पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।

सहकारिता विभाग :–

13. प्रकरण संख्या 211/2025 दिनांक 17.08.2025 आरोपी श्री नारायण लाल वर्मा, निरीक्षक, कार्यालय उप रजिस्ट्रार सहकारी समिति, मिनी सचिवालय, जयपुर द्वारा परिवादी के क्रय किए गए पट्टो पर विवाद होने पर उप रजिस्ट्रार कार्यालय में वाद दायर किए जाने पर स्टे देने हेतु 5.00 लाख रूपये की रिश्वत मांग करने पर रिश्वत राशि 2.75 लाख प्राप्त किए जाने पररंगे हाथ गिरफ्तार कर प्रकरण दर्ज किया गया।

वन विभाग :–

14. प्रकरण संख्या 61/2025 दिनांक 20.03.2025 आरोपी श्री वीरेन्द्र सिंह, क्षेत्रीय वन अधिकारी, कार्यालय वन अधिकारी रेंज उदयपुर, एवं अन्य द्वारा परिवादी के द्वारा वन विभाग में किये गये कार्यो के बिलों का भौतिक सत्यापन करवाने के बाद बिलों को पास करने की एवज में कुल राशि 34,43,000 रूपये का 10.60 प्रतिशत स्वयं के लिए एवं 12.40 प्रतिशत राशि डी.एफ.ओ के लिए कमीशन राशि की मांग करने पर दौराने ट्रेप कार्यवाही में 4,61,000 रूपये (1,01,000 रूपये भारतीय चलन मुद्रा व 3,60,000 डमी नोट) रूपये की रिश्वत राशि रंगे हाथ प्राप्त किए जाने पर गिरफ्तार कर प्रकरण दर्ज किया गया।

चिकित्सा विभाग :–

15. प्रकरण संख्या 268/2025 दिनांक 11.10.2025 आरोपी डॉ. मनीष अग्रवाल, वरिष्ठ आचार्य एवं अति. चिकित्सा अधीक्षक, सवाईमानसिंह अस्पताल, जयपुर द्वारा परिवादी द्वारा ब्रेन में काम आने वाले इम्प्लांट की आपूर्ति किए जाने पर उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए बिल पास करने की एवज रिश्वत की मांग करने पर दिनांक 09.10.2025 को रिश्वत राशि 1,00,000 रूपये प्राप्त किये जाने पर रंगे हाथ गिरफ्तार कर प्रकरण दर्ज किया गया।

16. प्रकरण संख्या 302/2025 दिनांक 17.11.2025परिवादी के भाई की फार्मासिस्ट के पद पर भर्ती जीएस एण्ड कम्पनी के मार्फत होने पर एवं सहपरिवादी के स्वयं के काम हेतु सी.एम.एच.ओ. जोधपुर द्वारा आरोपी बुधराज विश्नोई, चिकित्सा अधिकारी, राजकीय ट्रोम सेन्टर बिलाड़ा, जोधपुर के माध्यम से प्रति व्यक्ति 2–3 लाख रूपये

रिश्वत की मांग किए जाने पर आरोपी चिकित्सा अधिकारी को दिनांक 14.11.2025 को रिश्वत राशि 3,70,000 रूपये(1,00,000 रूपये भारतीय मुद्रा एवं 2,70,000डमी करेन्सी) प्राप्त किये जाने पर रंगे हाथ गिरफ्तार कर प्रकरण दर्ज किया गया।

17. प्रकरण संख्या 330/2025 दिनांक 13.12.2025आरोपी श्री श्रवण कुमार मीणा, प्राचार्य, राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, सिरोही द्वारा परिवादी द्वारा राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, सिरोही में संचालित मैस के किराये के भुगतान से संबंधित समायोजन किए जाने हेतु रिश्वत राशि 1.50 लाख रूपये की मांग किए जाने पर दौराने ट्रेप कार्यवाही दिनांक 10.12.2023 को राशि 50 हजार रूपये की रिश्वत प्राप्त करने पर रंगे हाथ गिरफ्तार कर प्रकरण दर्ज किया गया।

स्वायत्त शासन विभाग :–

18. प्रकरण संख्या 279/2025 दिनांक 21.10.2025 आरोपी श्री उवेश शेख, अग्निशमण अधिकारी, नगर परिषद् बांरा, श्री मोतीलाल नागर, आयुक्त, नगर परिषद् बांरा द्वारा परिवादी को पटाका बिक्री हेतु लाईसेन्स जारी किए जाने की एवज में रिश्वत राशि 5.00 लाख रूपये की मांग किए जाने पर दिनांक 02.10.2025 दौराने ट्रेप कार्यवाही रिश्वत राशि 2.5 लाख रूपये प्राप्त करने पर गिरफ्तार कर प्रकरण दर्ज किया गया।

कृषि उपज मण्डी :–

19. प्रकरण संख्या 319/2025 दिनांक 01.12.2025 आरोपी श्री कैलाश चन्द मीणा, सचिव कृषि उपज मण्डी, धौलपुर द्वारा परिवादी द्वारा मण्डी लाईसेन्स आढ़त हेतु आवेदन किए जाने पर लाईसेन्स ईश्यू किए जाने की एवज में रिश्वत राशि 50 हजार रूपये की मांग किए जाने पर दिनांक 28.11.2025 दौराने ट्रेप कार्यवाही रिश्वत राशि 45 हजार रूपयेप्राप्त करने पर गिरफ्तार कर प्रकरण दर्ज किया गया।

आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने के महत्वपूर्ण प्रकरण :–
परिवहन विभाग :

20. प्रकरण संख्या 11/2025 दिनांक 24.07.2025 आरोपी श्री संजय शर्मा अतिरिक्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी विद्याधर नगर जयपुर द्वारा स्वंय व अपनी पत्नी के नाम से वैध आय के ज्ञात स्त्रोतो से लगभग 209 प्रतिशत अधिक राशि की परिसम्पत्तियां अर्जित किये जाने पर प्रकरण पंजीबद्व किया गया।

21. प्रकरण संख्या 191/2025 दिनांक 17.07.2025 आरोपी श्री सुजानाराम चौधरी, परिवहन निरीक्षक, जिला परिवहन कार्यालय सिरोही, द्वारा अपने वैधआय के ज्ञात स्त्रोतों से राशि 2,50,16,159 रूपये की अधिक परिसम्पत्ति अर्जित किये जाने पर प्रकरण पंजीबद्व किया गया।

सार्वजनिक निर्माण विभाग :–

22. प्रकरण संख्या 32/2025 दिनांक 15.02.2025 को आरोपी श्री दीपक कुमार मित्तल अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग विद्युत खण्ड (द्वितीय) जोधपुर द्वारा

स्वंय व अपनी पत्नी के नाम से वैध आय के ज्ञात स्त्रोतो से लगभग 203.95 प्रतिशत अधिक राशि की परिसम्पत्तियां अर्जित किये जाने पर प्रकरण पंजीबद्व किया गया।

23. प्रकरण संख्या 89/2025 दिनांक 09.04.2025 आरोपी श्री हरिप्रसाद मीणा, अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड दूदू, जयपुर ग्रामीण द्वारा अपने वैधआय के ज्ञात स्त्रोतों से अधिक राशि 4,02,20,312 रूपये की अधिक परिसम्पत्ति अर्जित किये जाने पर प्रकरण पंजीबद्व किया गया।

24. प्रकरण संख्या 184/2025 दिनांक 17.07.2025 आरोपी श्री चतरूराम, तत्कालीन अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय अधिशाषी अभियंता, सा.नि.वि. खण्ड सीकर द्वारा अपने वैधआय के ज्ञात स्त्रोतों से राशि 1,75,56,762रूपये की अधिक परिसम्पत्ति अर्जित किये जाने पर प्रकरण पंजीबद्व किया गया।

स्वायत्त शासन विभाग :–

25. प्रकरण संख्या 53/2025 दिनांक 10.03.2025 आरोपी श्री अविनाश शर्मा, अधीक्षण अभियंता, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के सूत्र सूचना के सत्यापन पर ज्ञात हुआ की आरोपी द्वारा अपने वैधआय के ज्ञात स्त्रोतों से राशि 6,25,91,051रूपये की अधिक परिसम्पत्ति अर्जित किए जाने पर प्रकरण पंजीबद्व किया गया।

26. प्रकरण संख्या 285/2025 दिनांक 03.11.2025 आरोपियां श्रीमती मुनेश गुर्जर, तत्कालीन मेयर, नगर–निगम जयपुर हैरिटेज तथा श्री सुशील कुमार गुर्जर, मेयर पति के विरूद्ध ब्यूरो द्वारा दिनांक 04.08.2023 को ट्रेप कार्यवाही किए जाने के पश्चात् मकान की खानातलाशी में आय से अधिक सम्पत्ति के दस्तावेजात् मिलने पर बाद सत्यापन/अनुसंधान उपरांत आरोपियां एवं आरोपी द्वारा अपने वैधआय के ज्ञात स्त्रोतों से राशि 1,59,33,247रूपये की अधिक परिसम्पत्ति अर्जित किए जाने पर प्रकरण पंजीबद्व किया गया।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग :–

27. प्रकरण संख्या 95/2025 दिनांक 19.04.2025 आरोपी श्री अशोक कुमार जांगिड़, हाल अधीक्षण अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, वृत प्रोजेक्ट, बांसवाड़ा द्वारा अपने वैधआय के ज्ञात स्त्रोतों से राशि 11,52,70,848 रूपये की अधिक परिसम्पत्ति अर्जित किए जाने पर प्रकरण पंजीबद्व किया गया।

खनिज विभाग :–

28. प्रकरण संख्या 177/2025 दिनांक 09.07.2025 आरोपी श्री राजेन्द्र लालस, तत्कालीन सहायक खनिज अभियंता, (सतर्कता) वृत्त राजसंमद द्वारा अपने वैधआय के ज्ञात स्त्रोतों से राशि 29,74,092रूपये की अधिक परिसम्पत्ति अर्जित किए जाने पर पंजीबद्व किया गया।

पद के दुरूपयोग के महत्वपूर्ण प्रकरण :–

राजस्व विभाग :–

29. प्रकरण संख्या 49/2025 दिनांक 06.03.2025 आरोपी श्री सुरेन्द्र कुमार जाखड़ तत्कालीन तहसीलदार, छतरगढ़ एवं अन्य के विरूद्ध ब्यूरो में शिकायत आर.न. 1426 दिनांक 13.03.2024 जिला कलक्टर बीकानेर से विगत 10 वर्ष में राजकीय भूमि के अन्तरण के प्रकरणों की जांच रिपोर्ट पर प्राथमिकी दर्ज किये जाने हेतु प्राप्त होने पर ब्यूरो द्वारा जांच उपरान्त आरोपीगणों द्वारा राजकोष को 25 करोड़ रूपये की हानि पहुंचाए जाने के आरोप प्रमाणित मानते हुए पद के दुरूपयोग का प्रकरण दर्ज किया गया।

30. प्रकरण संख्या 54/2025 दिनांक 11.03.2025 आरोपियां श्रीमती सीता शर्मा, तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, पूगल एवं अन्य के विरूद्ध ब्यूरो में शिकायत आर.न. 1426 दिनांक 13.03.2024 जिला कलक्टर बीकानेर से विगत 10 वर्ष में राजकीय भूमि के अन्तरण के प्रकरणों की जांच रिपोर्ट पर प्राथमिकी दर्ज किये जाने हेतु प्राप्त होने पर ब्यूरो द्वारा जांच उपरान्त आरोपीगणों द्वारा राजकोष को 40 करोड़ रूपये की हानि पहुंचाए जाने के आरोप प्रमाणित मानते हुए पद के दुरूपयोग का प्रकरण दर्ज किया गया।

सहकारी बैंक :–

31. प्रकरण संख्या 205/2025 दिनांक 14.08.2025 आरोपी श्री बाबूलाल, सहायक व्यवस्थापक, सहकारी ग्राम समिति मण्डल जिला पाली एवं अन्य द्वारा राशि रूपये 25.00 लाख का वित्तीय गबन करने पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।
32. प्रकरण संख्या 232/2025 दिनांक 09.09.2025 आरोपी श्री पुष्पेन्द्र सिंह, अध्यक्ष, सेन्ट्रल कॉ–ऑपरेटिव बैंक एवं अन्य द्वारा अन्य द्वारा अनियमित तरीके से पद का दुरूपयोग कर 4,00,54,970 रूपये का गृह ऋण आवंटन किए जाने पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।

पंचायती राज विभाग :–

33. प्रकरण सख्या 269/2025 दिनांक 13.10.2025 आरोपी श्री प्रहलाद नट, तत्कालीन सरपंच, ग्राम पंचायत काछोला, पंचायत समिति माण्डलगढ़ एवं अन्य द्वारा नियम विरूद्ध पट्टे जारी कर राजकोष को राशि 1,08,56,880 रूपये की हानि पहुंचाने पर पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।

पुलिस विभाग :–

34. प्रकरण संख्या 119/2025 दिनांक 19.05.2025 आरोपी श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा, तत्कालीन अति. पुलिस अधीक्षक, एसीबी, सवाईमाधोपुर एवं अन्य द्वारा बजरी खनन को संरक्षण देने एवं भ्रष्टाचार की शिकायत प्राप्त होने पर आरोपी एवं अन्य का मोबाईल अन्तवरोध पर लिए जाने पर राशि का लेन–देन करते समय आरोपी एवं अन्य को गिरफ्तार किया जाकर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।

एक दिवसीय आकस्मिक चैकिंग के महत्वपूर्ण प्रकरण
वन विभाग :–

35. प्रकरण संख्या 14/2025 दिनांक 28.01.2025 आरोपी श्री पुष्पेन्द्र सिंह, क्षेत्रिय वन अधिकारी प्रथम रेंज माण्डलगढ, जिला भीलवाडा को माफियाओं व दलालों से मिलीभगत कर वन विभाग की भूमि से अवैध खनन करवाने की एवज में 01 लाख 90 हजार रूपये दौराने एक दिवसीय आकस्मिक चैकिंग पर प्राप्त हुये जिस पर प्रकरण पंजीबद्व किया गया।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा किए गए नवाचार

भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान :–

आमजन को भ्रष्टाचार के विरूद्ध जागरूक करने के लिए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा "भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान"विषय पर जन–जागरूकता अभियान चलाया जाकर जनता को 1064 हैल्पलाईन नं. एवं 94135–02834 पर शिकायत दर्ज करने की जानकारी राज्य के समस्त कार्यालयों में भ्रष्टाचार विरोधी संबंधित पोस्टर, बैनर और सूचना बोर्ड लगाकर दी जा रही है, इसके अतिरिक्त मोबाईल पर टैक्सट मैसेज के जरिये भी राज्य की जनता को लोकसेवकों द्वारा रिश्वत मांग करने पर ब्यूरो में शिकायत दर्ज करवाए जाने हेतु प्रेरित किया जा रहा है।

हैल्पलाईन नम्बर 1064 :–

माह जुलाई 2020 में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा टोल–फ्री हैल्पलाईन नम्बर 1064 की शुरूआत की गई। टोल–फ्री हैल्पलाईन नम्बर 1064 पर प्राप्त शिकायतों के आधार पर ब्यूरो द्वारा वर्ष 2024 में 65 एवं 2025 में 88 अभियोग दर्ज किए गए।

व्हाट्सएप हैल्पलाईन नम्बर 94135–02834

माह जनवरी 2021 में व्हाट्सएप हैल्पलाईन नम्बर 94135–02834 की शुरूआत हुई।व्हाट्सएप हैल्पलाईन नम्बर 94135–02834 पर प्राप्त शिकायतों के आधार पर ब्यूरो द्वारा वर्ष 2024 मे 20 एवं 2025 में 41 अभियोग दर्ज किए गए।

ए.सी.बी. आपके द्वारा :–

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा परिवादी पक्ष से व्हाट्सअप 94135–02834 अथवा हैल्पलाईन 1064 से प्राप्त शिकायत/सूचना पर संबंधित अधिकारी को परिवादी से तुरंत सम्पर्क कर आवश्यकतानुसार उसके पास पहुंच कर यथोचित कार्यवाही करने की शुरूआत की गई है, जिसे **"ए.सी.बी. आपके द्वार"** नाम दिया गया।

ए.सी.बी. स्थान दिवस :–

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने अपने "67 वें स्थापना दिवस" वर्ष 2024 का आयोजन पहली बार किया जाकर नवाचार किया गया, इसी क्रम में वर्ष 2025 में भी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार की गरिमामयी उपस्थिति में 15 जुलाई 2025 को पुनः अपना 68 वां स्थापना दिवस मनाया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा राज्य सरकार की "भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान" की संकल्पता को साकार करने में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा की जा रही कार्यवाहियों की सराहना करते हुए ऐसे ही पारदर्शिता एवं ईमानदारी से कार्य करने के लिए प्रेरित किया। इस स्थापना दिवस का मुख्य उद्देश्य आम जनता को विभाग की उपलब्धियों और उनकी शिकायतों को निपटाने में विभाग की तत्परता के बारे में जागरूक करना है।

रिवॉल्विंग फण्ड :–

राज्य सरकार की ''भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान'' की संकल्पता को साकार करने में एक समस्या परिवादी के द्वारा ट्रेप राशि का न्यायालय में अभियोग के निर्णय होने तक वापस नहीं मिलने के कारण परिवादियों द्वारा बड़ी राशि के ट्रेप करवाने से बचने की भी थी। राज्य सरकार द्वारा रिवॉल्विंग फण्ड के माध्यम से अब अभियोग के निर्णय से पूर्व ही आरोपी के चालान के बाद ट्रेप राशि का पुनर्भरण कर दिया जाता है।

वर्ष 2021–2022 में शुरू की गई इस योजना में वित्तीय वर्ष 2025–26 में ब्यूरो को राशि 100.00 लाख रूपये संबंधित बजट मद में प्राप्त हुए, जिसमें से 71 परिवादियों को राशि 91.41 लाख रूपये का पुनर्भरण किया जा चुका है।

वर्ष 2025 में निर्णित प्रकरण

माननीय न्यायालय द्वारा विचारण के बाद 114 प्रकरणों में आरोपियों को सजा का निर्णय सुनाया गया जिनमें प्रमुख प्रकरण निम्न हैं :–

क्र0 सं0	अपराध संख्या	नाम अभियुक्त	पद	सजा
1	87 / 2002	श्री सत्यप्रकाश जैन	वैज्ञानिक, सर्वे एवं गुण नियंत्रण खण्ड प्रथम, पीडब्लूडी जयपुर।	धारा 7 पीसी एक्ट 1988 में एक साल के कारावास एवं 13(1)(डी),13(2) पीसी एक्ट 1988 में दो वर्ष के कारावास एवं पांच–पांच हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
2	177 / 1999	सुरेश चन्द जैन	कार्यालय सहायक, वन मण्डल बांरा।	13(1)(डी),13(2) पीसी एक्ट 1988 में तीन वर्ष के कारावास एवं 80,000 हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है, धारा 467,468,471 भादस में दो–दो वर्ष के कारावास एवं पांच–पांच हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
3	48 / 2016	हरिसिंह यादव	ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव, ग्राम पंचायत गादूवास, पंचायत समिति मुण्डावर, जिला अलवर	धारा 7 एवं 13(1)(डी),13(2) पीसी एक्ट 1988 में चार–चार वर्ष के कारावास एवं दस–दस हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
4	453 / 2011	प्रेमसिंह राजवी व अन्य	पटवारी, पटवार हल्का 14 पी.बी. तहसील खाजुवाल, जिला बीकानेर	13(1)(डी),13(2) पीसी एक्ट 1988 में पाँच–पाँच वर्ष के कठोर कारावास एवं पचास–पचास हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है, धारा 120बी भादस में पाँच–पाँच वर्ष के कठोर कारावास एवं पचास–पचास हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
5	169 / 2016	प्रेमशंकर पंडित व अन्य	एएसआई, पुलिस थाना बिजौलिया, जिला भीलवाडा	धारा 7 एवं 13(1)(डी),13(2) पीसी एक्ट 1988 में चार–चार वर्ष के कारावास एवं दस–दस हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है, धारा 120बी भादस में चार वर्ष के कारावास एवं दस हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
6	289 / 2016	राधेश्याम प्रजापत	वरिष्ठ लिपिक, उपभोक्ता	धारा 7 एवं 13(1)(डी),13(2) पीसी एक्ट 1988 में चार–चार वर्ष के

			शाखा,कार्यालय सहायक अभियंता (प.व.स.) जयपुर डिस्कॉम, एम. आई.ए. अलवर।	कारावास एवं दस–दस हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
7	145 / 1996	राम भरोसी लाल	अधिशाषी अभियंता, योजना अनुसंधान एवं विस्तार अधिकारी, साहिबी नदी परियोजना, वन विभाग, जयपुर।	13(1)(ई),13(2) पीसी एक्ट 1988 में तीन वर्ष के कारावास एवं 17,92,400 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
8	09 / 09	डॉ0 अविनाश कुमार शर्मा	सहायक निदेशक, पशुधन बांसवाडा।	धारा 7 एवं 13(1)(डी),13(2) पीसी एक्ट 1988 में एक वर्ष के कारावास एवं दस–दस हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
9	93 / 2014	अनन्त कुमार सिन्हा	मुख्य प्रबन्धक, सिविल प्रधान कार्यालय स्टेट बैक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, शाखा तिलक मार्ग, जयपुर।	धारा 7 एवं 13(1)(डी),13(2) पीसी एक्ट 1988 में चार–चार वर्ष के कारावास एवं दस–दस हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
10	331 / 2007	नानूराम पारगी व अन्य	जिला अधिकारी, शिक्षा माध्यमिक, झुन्झुनु।	13(1)(सी)(डी),13(2) पीसी एक्ट 1988 में दो–दो वर्ष के कारावास एवं पचास–पचास हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है, धारा 120बी,420,467 भादस में दो–दो वर्ष के कारावास एवं बीस–बीस हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
11	112 / 2010	ओमप्रकाश शर्मा व अन्य	पुलिस निरीक्षक, जेडीए जोन नं0 2 जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।	धारा 7 पीसी एक्ट 1988 में एक–एक साल के कारावास, पांच–पांच हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है एवं 13(1)(डी),13(2) पीसी एक्ट 1988 में दो–दो वर्ष के कारावास एवं दस–दस हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है। धारा 120बी भादस में दो–दो वर्ष के कारावास एवं दस–दस हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
12	99 / 2005	सत्यनारायण	पुलिस उप निरीक्षक, पुलिस थाना दादाबाडी, जिला कोटा।	धारा 7 एवं 13(1)(डी),13(2) पीसी एक्ट 1988 में तीन–तीन वर्ष के कारावास एवं पन्द्रह–पन्द्रह हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

13	20 / 2019	डॉ0 सहीराम व अन्य	अतिरिक्त नारकोटिस कमीश्नर, कोटा।	धारा 7 पीसी एक्ट 2018 में तीन वर्ष के कारावास एवं पच्चीस हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। धारा 120बी में तीन वर्ष के कारावास एवं पच्चीस हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
14	301 / 2016	गणेश चन्द योगी	हैल्पर ग्रेड प्रथम (राजस्व शाखा), कार्यालय सहायक अभियंता जयपुर डिस्कॉम बानसूर, जिला अलवर।	धारा 7 एवं 13(1)(डी),13(2) पीसी एक्ट 1988 में चार–चार वर्ष के कारावास एवं दस–दस हजार रूपये के अर्थदण्डसे दण्डित किया
15	105 / 2007	समर्थ सिंह	विकास अधिकारी, पंचायत समिति देवली, जिला टोंक।	धारा 7 एवं 13(1)(डी),13(2) पीसी एक्ट 1988 में दो–दो वर्ष के कारावास एवं दस–दस हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
16	164 / 2014	पप्पू लाल सैनी	सहायक द्वितीय, कार्यालय एईएन जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड कादेडा ग्रामीण फीडर, चाकसू।	धारा 7 एवं 13(1)(डी),13(2) पीसी एक्ट 1988 में चार–चार वर्ष के कारावास एवं पांच–पांच हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
17	276 / 2008	बाबूलाल व अन्य	सहायक उप निरीक्षक, पुलिस थाना पाटन, जिला बूंदी।	धारा 7 एवं 13(1)(डी),13(2) पीसी एक्ट 1988 में तीन–तीन वर्ष के कारावास एवं पन्द्रह–पन्द्रह हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। धारा 120बी में तीन–तीन वर्ष के कारावास एवं पन्द्रह–पन्द्रह हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
18	307 / 2014	कमलेश शर्मा	लेखाकार, जेडीए जोन 10 जयपुर।	धारा 7 एवं 13(1)(डी),13(2) पीसी एक्ट 1988 में चार–चार वर्ष के कारावास एवं दस–दस हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
19	125 / 2009	महेश चन्द व अन्य	पुलिस निरीक्षक, पुलिस थाना पिडावा, जिला झालावाड़।	धारा 7 एवं 13(1)(डी),13(2) पीसी एक्ट 1988 में तीन–तीन वर्ष के कारावास एवं पन्द्रह–पन्द्रह हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। धारा 120बी,420 में तीन–तीन वर्ष के कारावास एवं पन्द्रह–पन्द्रह हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
20	129 / 2009	केशव कुमार मीणा	प्रबंधक, राजस्थान	धारा 7 एवं 13(1)(डी),13(2) पीसी

			ग्रामीण बैंक करड़, जिला सीकर।	एक्ट 1988 में तीन–तीन वर्ष के कारावास एवं पन्द्रह–पन्द्रह हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
21	160 / 2011	असलम परवेज	प्राचार्य, केन्द्रीय विद्यालय जवाहर माईन्स, जिला उदयपुर।	धारा 7 एवं 13(1)(डी),13(2) पीसी एक्ट 1988 में तीन–तीन वर्ष के कारावास एवं पच्चीस–पच्चीस हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
22	270 / 2011	पी. के. गोयल	ब्रांच मैनेजर, एस.बी.बी. जे. मुख्य शाखा सुभाष बाजार, टोंक।	धारा 7 एवं 13(1)(डी),13(2) पीसी एक्ट 1988 में दो–दो वर्ष के कारावास एवं तीन–तीन हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
23	366 / 21	सुभाष चन्द चालिया	पटवारी, पटवार हल्का कुचार अगुणी तहसील नरैना, जिला बीकानेर।	धारा 7 पीसी एक्ट 2018 में चार वर्ष के कारावास एवं पचास हजार रूपय के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
24	207 / 2010	नृसिंह रेबारी	सहायक अभियंता, पीडब्लूडी विभाग छोटी सादडी, जिला प्रतापगढ।	धारा 7 एवं 13(1)(डी),13(2) पीसी एक्ट 1988 में तीन वर्ष के कारावास एवं दस हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
25	79 / 2020	रघुवीर सिंगोदिया	एलडीसी, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर।	धारा 7 पीसी एक्ट 2018 में तीन वर्ष के कारावास एवं छः हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
26	399 / 2014	प्रकाश चन्द जैन	अधीक्षण अभियंता (सिविल), जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर।	धारा 7 पीसी एक्ट 2018 में तीन वर्ष के कारावास एवं पचास हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
27	314 / 2014	मुकराज मीणा व अन्य	जेईएन, जयपुर डिस्कॉम माचडी, जिला अलवर।	धारा 7 एवं 13(1)(डी),13(2) पीसी एक्ट 1988 में चार–चार वर्ष के कारावास एवं दस–दस हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। धारा 120बी में चार वर्ष के कारावास एवं दस हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
28	343 / 15	आनन्द बिहारी ओझा	पटवारी, पटवार हल्का चतरपुरा तहसील आमेर, जिला जयपुर।	धारा 7 एवं 13(1)(डी),13(2) पीसी एक्ट 1988 में तीन–तीन वर्ष के कारावास एवं दस–दस हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
29	243 / 16	सुरेश माथुर	अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण	धारा 7 एवं 13(1)(डी),13(2) पीसी एक्ट 1988 में तीन–तीन वर्ष के

			विभाग पोकरण, जिला जैसलमेर	कारावास एवं पचास–पचास हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
30	263 / 2016	कानाराम	जेईएन (उपायुक्त), प्लानिंग शाखा जोधपुर विकास प्राधिकरण।	धारा 7 एवं 13(1)(डी),13(2) पीसी एक्ट 1988 में तीन–तीन वर्ष के कारावास एवं बीस–बीस हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
31	155 / 2016	महावीर प्रसाद्र	लाईनमैन द्वितीय, कार्यालय कनिष्ठ अभियंता (पवस) उपखण्ड थानागाजी, जिला अलवर।	धारा 7 एवं 13(1)(डी),13(2) पीसी एक्ट 1988 में चार–चार वर्ष के कारावास एवं दस–दस हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
32	238 / 2017	नवरतन सिंह	पटवारी, पटवार हल्का लबाना तहसील आमेर, जिला जयपुर।	धारा 7 एवं 13(1)(डी),13(2) पीसी एक्ट 1988 में चार–चार वर्ष के कारावास एवं बारह हजार पांच सौ रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
33	338 / 2010	सुनील मालोत	एलडीसी मूल्यांकन संगठन, कार्यालय परियोजना प्रबंधक अनुजा निगम, बांसवाडा।	धारा 7 पीसी एक्ट 1988 में तीन वर्ष के कारावास एवं दस हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
34	306 / 2016	नरेश कुमार व अन्य	यूडीसी राजस्व शाखा, कार्यालय सहायक अभियंता जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।	धारा 7 एवं 13(1)(डी),13(2) पीसी एक्ट 1988 में चार–चार वर्ष के कारावास एवं दस–दस हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

परिवाद :–

वर्ष 2025 के आरम्भ में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में 381 परिवाद विचाराधीन थे। वर्ष 2025 में 27 परिवाद सत्यापन हेतु पंजीबद्ध किये गए एवं 1 परिवाद रि–ओपन किया गया। इस प्रकार कुल 409 परिवाद विचाराधीन हुए। इनमें से 153 परिवादों का निस्तारण किया गया। जिसमें 5 परिवादों पर नियमित अभियोग पंजीबद्ध किये गये, 7 परिवादों पर प्राथमिक जांच पंजीबद्ध की गई। 1 परिवादमें विभागीय कार्यवाही का निर्णय लिया गया, 31 परिवाद विभागाध्यक्षों को उनके स्तर पर जांच किए जाने हेतु प्रेषित किए गए एवं 109 परिवादों में आरोप सत्यापन से अप्रमाणित पाये जाने पर नस्तीबद्ध किये गए। वर्ष 2025 के अन्त में 256 परिवाद शेष लम्बित रहे।

परिवाद से संबंधित तीन वर्षों की तुलनात्मक तालिका (वर्ष 2023 से वर्ष 2025 तक)

क्रम संख्या	कार्य विवरण	वर्ष		
		2023	2024	2025
1	वर्ष के प्रारम्भ में लम्बित परिवाद	555	511	381
2	वर्ष में पंजीबद्ध परिवाद	25	12	27
3	वर्ष में रिओपन किए गए परिवाद	00	00	01
4	वर्ष में कुल विचाराधीन परिवाद (क्रम संख्या 1+2+3 का योग)	580	523	409
5	परिवाद पर पंजीबद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट	11	13	05
6	परिवाद पर पंजीबद्ध प्राथमिक जांच	08	05	07
7	विभागाध्यक्षों को विभागीय कार्यवाही हेतु भेजे गये परिवाद	00	01	01
8	विभागाध्यक्षों को उनके स्तर पर जांच करवाने हेतु भेजे गये परिवाद	16	22	31
9	आरोप अप्रमाणित पाये जाने पर नस्तीबद्ध किये गये परिवाद	34	101	109
10	वर्ष में निस्तारण का योग (क्रम संख्या 5+6+7+8+9 का योग)	69	142	153
11	वर्ष के अन्त में लम्बित रहे परिवादों की संख्या(क्रम संख्या 4 – 10 का अंतर)	511	381	256

प्राथमिक जांच :–

वर्ष 2025 के प्रारम्भ में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में 131 प्राथमिक जाँच विचाराधीन थी। वर्ष 2025 में 93 प्राथमिक जाँच पंजीबद्ध की गई, इस प्रकार कुल 224 प्राथमिक जाँच विचाराधीन हुई। वर्ष 2025 में कुल 65 प्राथमिक जाँचों का निस्तारण किया गया। जिसमें 19 प्राथमिक जाँचों पर नियमित अभियोग पंजीबद्ध किये गए, 10 प्राथमिक जाँचों में विभागीय स्तर का मामला होने पर संबंधित विभागों को यथोचित कार्यवाही हेतु प्रेषित की गई एवं 36 प्राथमिक जाँचों में आरोप अप्रमाणित पाये जाने पर नस्तीबद्ध की गई। वर्ष 2025 के अन्त में 159 प्राथमिक जाँचे लम्बित रही।

प्राथमिक जांच से संबंधित तीन वर्षों की तुलनात्मक तालिका (वर्ष 2023 से वर्ष 2025 तक)

क्रम संख्या	कार्य विवरण	वर्ष		
		2023	2024	2025
1	वर्ष के प्रारम्भ में लम्बित प्राथमिक जांच	72	122	131
2	वर्ष में पंजीबद्ध प्राथमिक जांच	71	60	93
3	वर्ष में रिओपन की गई प्राथमिक जांच	00	00	00
4	वर्ष में कुल विचाराधीन प्राथमिक जांच (क्रम संख्या 1+2+3 का योग)	143	182	224
5	प्राथमिक जांच पर पंजीबद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट	06	20	19
6	विभागाध्यक्षों को कार्यवाही हेतु भेजी गई प्राथमिक जाँच	07	13	10
7	आरोप अप्रमाणित पाये जाने पर नस्तीबद्ध की गई	08	18	36
8	वर्ष में निस्तारण का योग (क्रम संख्या 5+6+7+8 का योग)	21	51	65
9	वर्ष के अन्त में लम्बित रही प्राथमिक जांच (क्रम संख्या 4 – 9 का अन्तर)	122	131	159

धारा 17 ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के तहत प्रेषित प्रस्तावों की स्थिति :–

वर्ष 2025 में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा कुल 220 प्रस्ताव धारा 17ए के प्रावधानों के तहत विभिन्न विभागाध्यक्षों को प्रेषित किए गए। इन प्रस्तावों में से 131 पर निर्णय प्राप्त हुआ, जिनमें से 85 प्रस्तावों में पूर्वानुमोदन स्वीकृति एवं 46 प्रस्तावों पूर्वानुमोदन मनाही प्राप्त हुई। इस प्रकार उक्त अवधि में प्रेषित प्रस्तावों मे से 89 प्रस्ताव अभी भी पूर्वानुमोदन स्वीकृति हेतु संबंधित विभागाध्यक्षों के पास लम्बित है, इसमें पूर्व के लम्बित प्रस्तावों को सम्मिलित करते हुए वर्ष 2025 के अन्त तक कुल 679 प्रस्ताव निर्णय हेतु संबंधित विभागाध्यक्षों के पास लम्बित है।

धारा 17ए के तहत पूर्वानुमोदन स्वीकृति प्रस्तावों की स्थिति (वर्ष 2023 से वर्ष 2025 तक)

क्रम संख्या	कार्य विवरण	वर्ष		
		2023	2024	2025
1	वर्ष के प्रारम्भ में धारा 17ए में लम्बित प्रस्ताव	480	541	590
2	वर्ष में निर्णय हेतु प्रेषित प्रस्ताव	173	197	220
3	योग (1+2)	653	738	810
4	वर्ष में प्राप्त निर्णय (स्वीकृति)	41	72	85
5	वर्ष में प्राप्त निर्णय़ (मनाही)	71	76	46
6	योग (4+5)	112	148	131
7	वर्ष में लम्बित रहे कुल धारा 17ए प्रस्ताव (3–6)	541	590	679

अभियोग –

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में वर्ष 2025 के प्रारम्भ में 1584 अभियोग विचाराधीन थे। वर्ष 2025 में कुल 343 अभियोग पंजीबद्ध किये गये, जिनमें 281 अभियोग अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा रिश्वत की राशि मांगने एवं प्राप्त करने के हैं, 25 अभियोग आय से अधिक सम्पत्ति के हैं एवं 37 अभियोग पद के दुरूपयोग से संबंधित हैं। वर्ष 2025 में 171 अभियोगों में न्यायालयों में अंतिम निर्णय प्रस्तुत किये जाने के बाद न्यायालयों के आदेश पर 04 प्रकरणों में पुनः अनुसंधान आरम्भ किया गया। इस प्रकार वर्ष में कुल 1931 अभियोग अनुसंधानाधीन रहे। वर्ष 2025 में कुल 453 प्रकरणों का निस्तारण किया गया, जिसमें से 282 अभियोगों में सम्बन्धित न्यायालयों में चालान तथा 171 अभियोगों में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए। वर्ष 2025 के अन्त में 1478 अभियोग अनुसंधानाधीन रहे।

अभियोग से संबंधित तीन वर्षों की तुलनात्मक तालिका (वर्ष 2023 से वर्ष 2025 तक)

क्रम संख्या	कार्य विवरण	वर्ष		
		2023	2024	2025
1	वर्ष के के प्रारम्भ में लम्बित अपराध	1630	1625	1584
2	आलोच्य वर्ष में ट्रेप से पंजीबद्ध अपराध	284	245	281
3	आलोच्य वर्ष में आय से अधिक परिसम्पति अर्जित करने के पंजीबद्ध अपराध	15	33	25
4	आलोच्य वर्ष में पद के दुरूपयोग से संबंधित पंजीबद्ध अपराध	17	40	37
5	न्यायालय से पुनः अनुसंधान हेतु प्राप्त	27	11	04
6	वर्ष में कुल अनुसंधानाधीन अपराध (क्रम संख्या 2+3+4+5 का योग)	343	329	347
7	आलोच्य वर्ष में कुल अनुसंधानाधीन अपराध (क्रम संख्या 1+6का योग)	1973	1954	1931
8	सक्षम न्यायालय में पेश चालान	287	262	282
9	सक्षम न्यायालय में पेश अंतिम प्रतिवेदन	61	108	171
10	कुल निस्तारित अपराधों की संख्या (क्रम संख्या 8+9 का योग)	348	370	453
11	वर्ष में अन्त में शेष बचे विचाराधीन अपराधों की संख्या (क्रम संख्या 7–10 का अंतर)	1625	1584	1478

अभियोजन स्वीकृति :–

वर्ष 2025 के प्रारम्भ में आरोपियों के विरूद्ध कुल 640 अभियोजन स्वीकृति प्रस्ताव सक्षम प्राधिकारीगण के पास अभियोजन स्वीकृति हेतु विचाराधीन थे। वर्ष 2025 में 417 प्रस्ताव अभियोजन स्वीकृति हेतु प्रेषित किये गये। इस प्रकार कुल 1057 अभियोजन स्वीकृति प्रस्ताव विचाराधीन थे। वर्ष के दौरान 414 प्रस्तावों पर अभियोजन स्वीकृति प्राप्त हुई तथा 14 प्रस्तावों पर मनाही एवं 10 प्रस्तावों पर अन्य निर्णय प्राप्त हुए। इस प्रकार कुल 438 निर्णय ब्यूरो को प्राप्त हुए। वर्ष 2025 के अन्त में कुल 619 अभियोजन स्वीकृति के प्रस्ताव सक्षम प्राधिकारीगण के पास विचाराधीन रहे।

अभियोग स्वीकृति के अभियुक्तवार प्रस्तावों की तीन वर्षों की स्थिति (वर्ष 2023 से वर्ष 2025 तक)

क्रम संख्या	कार्य विवरण	वर्ष		
		2023	2024	2025
1	2	3	4	5
1.	वर्ष के प्रारम्भ में पेण्डिंग अभियोजन स्वीकृति के प्रस्तावों की संख्या व्यक्तिवार	692	487	500+140* =640
2.	वर्ष में भेजी अभियोजन स्वीकृति के प्रस्तावों की संख्या	241	505	417
3.	क्रम संख्या 1+2 का योग	933	992	1057
4.	वर्ष में अभियोजन स्वीकृति बाबत प्राप्त निर्णय	446	492	438
5.	वर्ष के अन्त में लम्बित (क्रम संख्या 3–4 का अंतर)	487	500	619

*ब्यूरो द्वारा पूर्व में संबंधित विभाग को प्रेषित किए गए अभियोजन स्वीकृति प्रस्तावों में से संबंधित विभाग द्वारा स्वयं के स्तर पर अभियोजन स्वीकृति मनाही कर (मुख्य सतर्कता आयुक्त, गृह विभाग से अनुमोदन नहीं करवाकर) प्रेषित किए जाने पर इन्हे निस्तारण की श्रेणी में रखा गया था। मुख्य सतर्कता आयुक्त द्वारा ऐसे समस्त प्रस्तावों को पुनः लंबित श्रेणी में रखे जाने के आदेश प्रदान किए जाने पर इन्हे इस वर्ष के प्रारम्भ में लंबित अभियोजन स्वीकृति प्रस्तावों में जोड़ा गया है।

अभियोजन कार्य :–

वर्ष 2025 के आरम्भ में विधि अनुभाग के रिकार्ड के अनुसार 3477 प्रकरण विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन थे। वर्ष 2025 में 343 प्रकरणों में बाद चालान पत्रावलियां अपराध शाखा से विधि अनुभाग को प्राप्त हुई है। इस प्रकार कुल 3820 प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन रहे, इनमें से 359 प्रकरणों का विभिन्न न्यायालयों से निस्तारण हुआ, जिनमें से 114 प्रकरणों में अभियुक्तों को सजा से दण्डित किया गया 231 प्रकरणों में अभियुक्तों को दोषमुक्त किया गया एवं 14 प्रकरणों मे आरोपीगणो की मृत्यु होने से कार्यवाही ड्रॉप की गई है। वर्ष 2025 के अन्त तक 3461 प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन रहे।

तीन वर्षों की तुलनात्मक तालिका अभियोजन से संबंधित (वर्ष 2023 से वर्ष 2025 तक)

क्र.सं.	कार्य विवरण	2023	2024	2025
1	वर्ष के प्रारम्भ में न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों की संख्या	3579	3541	3477
2	वर्ष में विधि अनुभाग को प्राप्त प्रकरणों की संख्या	273	249	343
3	न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों की कुल संख्या क्र.स. 1+2 का योग	3852	3790	3820
4	सजा के प्रकरणों की संख्या	110	88	114
5	बरी के प्रकरणों की संख्या	189	206	231
6	ड्रॉप हुए प्रकरणों की संख्या	12	19	14
7	कुल निस्तारित प्रकरणों की संख्या (क्रम संख्या 4+5+6 का योग)	311	313	359
8	वर्ष के अन्त में न्यायालय में शेष विचाराधीन रहे प्रकरणो की संख्या (क्रम संख्या 3–7)	3541	3477	3461